

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर

वन संरक्षक/वनमण्डलाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन

1.	परियोजना का नाम	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य		
2.	आवेदक/आवेदक विभाग का नाम	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) छ.ग.सड़क विकास परियोजना लोक निर्माण विभाग बिलासपुर (छ.ग.)		
3.	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग के उन्नयन एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु		
4.	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
		रायगढ़	धरमजयगढ़	धरमजयगढ़ से कापू मार्ग
5.	वनभूमि का विस्तृत विवरण	वनखंड/ ग्राम	कक्ष क्र. / खसरा क्र.	आवेदित क्षे. का क्षेत्रफल हे. में
क.	आरक्षित वन	नकना	641	0.462
		सोनपुर	80	1.762
		सोनपुर	35	1.773
ख.	संरक्षित वन	गवारघुड़ी	355	0.311
		खम्हार	629	0.486
		गवारघुड़ी	360	0.213
		मिरिगुडा	354	0.626
ग.	राजस्व वनभूमि	धरमजयगढ़	1303/1क	0.434
		धरमजयगढ़	1303/1क/1	0.65
		धरमजयगढ़	1310/1क/1	0.344
		धरमजयगढ़	1311/1क/1	0.902
		मिरिगुडा	558/1क	0.830
		मिरिगुडा	558/1क	1.132
			560/1क	
		मिरिगुडा	209/1क	0.54
योग		10.465		
6.	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	वनों का प्रकार	साल एवं मिश्रित वन	
		साइट क्वालिटी	III	
		घनत्व	0.4 - 0.5	
7.	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	आवेदित क्षेत्र में कुल वृक्षों की संख्या 1970 नग वृक्ष एवं 27 नग बांस भिर्रा ।		
8.	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	माध्यम है ।		

9.	आवेदित क्षेत्र की (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्लू.डी./वन मार्ग आदि) से दूरी (जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में भी अंकित करें।)	खनिज प्रकरण नहीं है।	251
10.	क्या आवेदित क्षेत्र किसी Ecological Sensitive क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण, बायोस्फेयर रिजर्व, प्राकृतिक झील/वाटर, बाड़ी, आदिवासी सैटलमेंट क्षेत्र, धार्मिक) की सीमा के 10 वर्ग कि.मी. के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	उक्त धरमजयगढ़ से कापू सड़क लेमरु हाथी रिजर्व क्षेत्र में आता है।	
11.	आवेदित वनक्षेत्र के अलावा अन्य गैर वनक्षेत्र विकल्प के रूप, में प्रस्तावित गैर वानिकी कार्य हेतु उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आसपास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैर वनक्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावें एवं उसे मानचित्र पर भी दर्शाया जावें।)	नहीं है।	
12.	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लघन किया गया है या नहीं ? यदि हां, तो संक्षिप्त विवरण दें।	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा वन संरक्षण अधिनियम का उल्लघन नहीं किया गया है।	

प्रमाण – पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है/नहीं की जाती है।

निरीक्षण स्थल : धरमजयगढ़ - कापू मार्ग

दिनांक : 09/03/2022

अभिषेक जोगावत भा.व.से.


वनमंडलाधिकारी
धरमजयगढ़ वनमण्डल

